रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 27 जनवरी, 2003/7 माघ, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, सिरमौर, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 20 दिसम्बर, 2002

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (विधि) (5) 85/99-4-10732-37.—माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के आदेश संख्या सी0 डब्ल्यू0 पी0 1002/02, दिनांक 3-11-2002 की अनुपालना में श्रीमती बेसो देवी, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत बाली कोटी, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर को आगामी आदेश तक प्रधान, ग्राम पंचायत वाली कोटी के प्रधान पद पर बने रहने के आदेश दिए जाते हैं।

3478-राजपत्र/2003-27-1-2003—1,382. (3163) मूल्य : एक रुपया।

मूल्य : 1 रुपया

कारण बताओ नोटिस

नाहन, 6 जनवरी, 2003

संख्या पी0सी0 एन0-एस0 एम0आर0 (9) 34/99-176-81.—यह कि पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर ने सूचित किया है कि श्री रामा नन्द, सदस्य, वार्ड नं0 2, दिनांक 25-11-2002 को हुई ग्राम पंचायत की बैठक में लगातार छठी बार बिना किसी आवेदन किए अनुपस्थित रह चुके हैं;

यह कि उक्त श्री राम नन्द, सदस्य, वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर ने बिना सूचना के लगातार छः ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रह कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उल्लंघना के दोषी पाये गए हैं।

अतः मैं, ओंकार शर्मा, उपायुक्त, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) श्री रामा नन्द, सदस्य, वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़ को यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त के दृष्टिगत उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (च) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होना चाहिए अन्यथा उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

कार्यालय आदेश

नाहन, 10 जनवरी, 2003

क्रमांक पी0सी0एन-एस0एस0आर0(धारा-122)/2002-556-66.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) द्वारा नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जन्म प्रमाण-पत्र, जन्म पंजीकरण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 37 की छायाप्रति तथा श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़ के पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड राजगढ़ द्वारा लिए गये ब्यान की छायाप्रति सूचना प्राप्त हुई है कि श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़ ने दिनांक 11-11-2002 को एक पांचवें शिशु को जन्म दिया है, जिसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(ण) के अन्तर्गत वह प्रधान पद पर बने रहने के अयोग्य हो जाती है।

यह कि उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाया सनौरा उक्त ग्राम पंचायत के चौकीदार श्री देलू राम तथा ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी श्री सुशील कुमार व पंचायत सहायक, श्री रमेश चन्द को जन्म पंजीकरण परिवार रजिस्टरों सहित दिनांक 30-12-2002 को नोटिस द्वारा कार्यालय में तलब किया गया। किन्तु श्रीमती शान्ति देवी कथित प्रधान ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया, जिसके फलस्वरूप साक्षियों के समक्ष नोटिस की एक प्रति कथित प्रधान के आवास पर चस्पां की गई और इसके फलस्वरूप श्रीमती शान्ति देवी कथित प्रधान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अन्य साक्षी मय तलबिदा रिकार्ड उपस्थित हुए, जिनके ब्यान लेखबद्ध किये गये।

इस प्रकरण के साथ प्राप्त अभिलेखों, जांच के दौरान लेखबद्ध किये गये ब्यानों तथा ब्यानों के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के अध्ययन से इस बात पुष्टि हो गई है कि श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने 11-11-2002 को एक पांचवे शिशु को जन्म दिया है, जिसकी जन्म की प्रविष्टि जन्म पंजीकरण रजिस्टर के पृष्ठ सं0 37 में क्र0 सं0 33/02 पर दिनांक 22-11-2002 को कथित ग्राम पंचायत के चौकीदार श्री देली राम द्वारा करवाई गई तथा इस नवजात शिशु की प्रविष्टि परिवार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 50 में मकान नं0 101 के अन्तर्गत भी की आनी पाई गई है।

अतः मैं, ओंकार शर्मा, उपायुक्त, जिला सिरमौर (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 122(1) में हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 18, 2000) की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड "ण" के अन्तर्गत श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) को कथित प्रधान पद पर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शाया सनौरा, विकास खण्ड, राजगढ़ जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, शाया सनौरा, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं।

नाहन-173001, 10 जनवरी, 2003

संख्या पी0 एस0-2-मिस-138/82-549-555.—इस कार्यालय के कारण बताओ नोटिस पी0एस0-2-मिस-138/82-3380-84, दिनांक 6-9-2002 द्वारा श्री तुलसी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा, विकास खण्ड संगड़ाह को कारण बताओ नोटिस जारी कर निम्न अनियमितताओं में संलिप्त होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, किन्तु प्रधान द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई भी उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधान निम्न राशियों के दुरुपयोग व छलहरण के संलिप्त पाये गए :—

1. निर्माण रास्ता ब्योंग से बालधार :

ब्योंग से बालधार रास्ता के निर्माण हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा मु0 2695/- रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया था लेकिन खण्ड विकास अधिकारी संगड़ाह तथा कनिष्ठ अभियन्ता (विकास) ने इसका संयुक्त निरीक्षण किया तथा मौका पर कोई भी कार्य होना नहीं पाया गया है जबकि कार्य का खर्च मस्ट्रोल द्वारा दर्शाया गया है तथा मस्ट्रोल प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है और खर्च की गई दर्शाई गई राशि का इन्द्राज ग्राम पंचायत की रोकड़ वही पृष्ठ संख्या-39, दिनांक 30-3-2002 को किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा मु0-2695/- रु0 की राशि का छलहरण किया जाना पाया गया है।

2. निर्माण नलका ग्राम भजाडी :

ग्राम भजाडी में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत नलका निर्माण हेतु मु0 4845/- रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया था लेकिन खण्ड विकास अधिकारी संगड़ाह तथा कनिष्ठ अभियन्ता (विकास) ने संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि किया गया कार्य सन्तोषजनक नहीं है तथा इस पर अधिक से अधिक मु0 500/- रु0 ही व्यय किया जाना पाया गया है जबकि मस्ट्रोल द्वारा मु0 4845/- रु0 पूर्ण रूप से व्यय किये जाने दर्शाये गये हैं तथा मस्ट्रोल प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है तथा व्यय की गई राशि का इन्द्राज रोकड़ पृष्ठ-37 दिनांक 20-11-2001 पर किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा मु0 4345/- रु0 की राशि का छलहरण किया जाना पाया जाता है।

3. निर्माण पक्की गली टटवा :

ग्राम टटवा में निर्माण पक्की गली हेतु 11वां वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा मु0 14500/- रु0 का प्रावधान रखा गया था। इस कार्य को आरम्भ करने हेतु ग्राम पंचायत को पहली किश्त मु0 7200/- रु0 दिनांक 18-5-2001 को दी गई थी लेकिन खण्ड विकास अधिकारी संगड़ाह तथा कनिष्ठ अभियन्ता (विकास) ने मौका के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया कि मौका पर कोई भी कार्य गली को पक्का करने हेतु नहीं किया गया है जबकि मस्ट्रोल द्वारा खर्चा दर्शाया गया है तथा मस्ट्रोल प्रधान द्वारा सत्यापित है और व्यय की गई राशि का इन्द्राज रोकड़ पृष्ठ-2 दिनांक 18-5-2001 को किया गया है। इस प्रकार प्रधान द्वारा मु0 7285/- रु0 की राशि का छलहरण किया जाना पाया जाता है।

मूल्य : 1 रुपया

4. मानदेय भत्ता पंचायत पदाधिकारियों का दिनांक 7-3-2000 को मु0 7950/- रु0 का चैक यूको बैंक हरिपुरधार काटा गया । इस राशि में से अन्य पदाधिकारियों को भत्ता दिया जा चुका है किन्तु मु0 1200/- रु0 मानदेय उप-प्रधान को आज दिन तक अदायगी न करके राशि का छलहरण किया गया है ।

5. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत श्रीमती दियूड़ी देवी पत्नी श्री बस्ती राम, ग्राम शिलाना, डा0 कोरग, विकास खण्ड संगड़ाह को निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में मु0 6000/- रु0 की राशि दी जानी थी, किन्तु प्रधान द्वारा इस राशि को गलत रूप में बैंक से प्राप्त किया गया। यह राशि अभी तक लाभार्थी को आज दिन तक आबंटित नहीं की गई है । इस प्रकार राशि का छलहरण किया गया है ।

इस प्रकार प्रधान द्वारा आरोप संख्या 1 से 5 तक लगाये गये आरोप में दर्शायी गई राशियों का स्पष्ट रूप से छलहरण व दुरुपयोग किया गया । जिससे श्री तुलसी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा प्रधान पद पर बने रहने योग्य नहीं है ।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0प्र0से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तुलसी राम, प्रधान, ग्राम पंचायत ब्योंग टटवा, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर को प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित किया जाता है और यह भी आदेश दिया जाता है कि उनके पास ग्राम पंचायत के रिकार्ड अथवा नकद राशि है तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंपेंगे ।

कारण बताओ नोटिस

नाहन, 10 जनवरी, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0(9) 22/97-567.--यह कि श्रीमती कमलेश देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत करगाणू, विकास खण्ड राजगढ़ प्राथमिक जांच के दौरान ग्राम पंचायत के निम्न आरोपों में संलिप्त पाई गई :

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :

1. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत निर्माण खुरली जजाहु हेतु मु0 4363/- रुपये का प्रावधान ग्राम पंचायत ने रखा था । इस राशि को प्रधान द्वारा रोकड़ पृष्ठ-2 दिनांक 28-3-2002 अनुसार 4563/- रुपये का व्यय दर्शाया गया किन्तु कनिष्ठ सहायक की मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार इस कार्य को आज तक नहीं किया । इस प्रकार राशि का स्पष्ट रूप से गबन किया गया है ।

2. निर्माण खुरली बोहल हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रोकड़ पृष्ठ-3 दिनांक 28-3-2002 पर मु0 4528/- रुपये का व्यय दर्शाया है किन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य पर 3580/- रुपये व्यय हुआ है । इस कार्य में मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार मु0 948/- रुपये का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया ।

3. निर्माण खुरली छिवूण पर मु0 4832/- रुपये का व्यय दर्शाया है जबकि मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार इस कार्य पर केवल मु0 2647/- रुपये ही व्यय पाया गया । मु0 2125/- रुपये का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया ।

4. निर्माण खुरली पशुशाला हेतु मु0 3998/- रुपये रोकड़ अनुसार व्यय दर्शाया है किन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार केवल मु0 1728/- रुपये का कार्य पाया गया । इसमें मु0 1648/- रुपये का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया ।

5. निर्माण खुरली (चबूतरा के साथ) हेतु रोकड़ पृष्ठ-3 दिनांक 28-3-02 अनुसार मु0 5587/- रुपये का व्यय दर्शाया है । किन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार इस पर केवल 3580/- रुपये ही व्यय होना पाया गया । अतः मु0 2007/- रुपये की राशि का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया ।

6. निर्माण खच्चर रास्ता हेतु मु0 26494/- रुपये रोकड़ पृष्ठ-46 दिनांक 26-3-01 द्वारा व्यय दर्शाया है किन्तु मौके पर केवल 3284/- रुपये का ही कार्य पाया गया है। इस राशि का स्पष्ट रूप से छल-हरण व दुरुपयोग किया जा रहा है।

सामान्य रोकड़ से :

7. निर्माण प्राथमिक पाठशाला भवन हेतु मु0 13000/- रोकड़ पृष्ठ-11 दिनांक 29-5-02 को पेशगी के रूप में आज दिन तक रखा गया है, जबकि प्रधान द्वारा इस राशि को लम्बे समय तक पेशगी के रूप में अपने पास रख कर राशि का स्पष्ट रूप से छलहरण व दुरुपयोग किया पाया गया।

8. निर्माण वर्षा शालिका धनेच हेतु मु0 3000/- रुपये पेशगी के रूप में दिनांक 11-11-2002 को प्राप्त किया गया व इस राशि का भी प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

9. निर्माण आंगनबाड़ी हेतु मु0 10,000/- रुपये प्रधान द्वारा पेशगी के रूप मे दिनांक 11-11-02 से अब तक अपने पास रखा है। इस राशि का भी छलहरण व दुरुपयोग किया जा रहा है।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0प्र0से0), उपायुक्त, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कमलेश देवी प्रधान को आदेश देता हूं कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी तथा समय पर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

ओंकार शर्मा,
उपायुक्त,
सिरमौर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 17 जनवरी, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (5) 50 (11)/96-624-641.—यह कि ग्राम पंचायतों के निम्नवर्णित पदाधिकारियों द्वारा उनके त्याग-पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं :—

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, पद, ग्राम पंचायत व विकास खण्ड का नाम	त्याग-पत्र प्राप्ति की तिथि	त्याग-पत्र प्रस्तुत करने के कारण
1	2	3	4
1.	श्रीमती कमला शर्मा, सदस्य वार्ड नं0 1—मानरिया (सा0 व0 महिला), ग्राम पंचायत नहर सवार, विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।	1-11-2002	हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) में उक्त अधिनियम (संशोधन) अधिनियम सं0 18, 2002 की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ग) के अन्तर्गत अयोग्यता के कारण त्याग-पत्र दिया गया।
2.	श्रीमती सन्तोष चौहान, सदस्य, वार्ड नं0 1—कोठिया झाजर (अ0 जा0 म0), ग्राम पंचायत काठिया झाजर, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।	25-11-2002	-यथोपरि-
3.	श्रीमती तारा देवी, सदस्य, वार्ड नं0 3—चान्दनी, (सा0 महिला), ग्राम पंचायत चान्दनी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।	25-11-2002	-यथोपरि-

मूल्य : 1 रुपया

1	2	3	4
4.	श्री हरी चन्द, सदस्य, वार्ड नं0 2—जरग (अनारक्षित), ग्राम पंचायत जरग, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।	27-11-2002	रा0 प्रा0 पा0 शमईला में जलवाहक के पद पर नियुक्ति हो जाने के कारण त्याग-पत्र दिया गया है ।

अतः मैं, एम0 एस0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरवर्णित समस्त चारों पदाधिकारियों के त्याग-पत्र स्वीकृत करता हूं ।

एस0 एम0 नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 17 जनवरी, 2003

क्रमांक पी0सी0एन0-एस0 एम0आर0 (विविध) (5) 85/99-4-665-72—यह कि श्री लायक राम, प्रधान, ग्राम पंचायत गवाली, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (विविध) (5) 85/99-4-1251-61, दिनांक 19-6-2002 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा उसकी निलम्बन अवधि 6 माह से अधिक हो गई है ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) के उपरान्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम सं0 18, 2002 की धारा 20 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (क) के अन्तर्गत उपरोक्त निलम्बन आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अब श्री लायक राम, प्रधान पद के समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगा ।

नाहन, 17 जनवरी, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (विविध) (5) 85/99-4-673-79.—यह कि श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर को इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (विविध) (5) 85/99-4-1240-50, दिनांक 19-6-2002 द्वारा निलम्बित किया गया था तथा उसकी निलम्बन अवधि 6 माह से अधिक हो गई है ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) के उपरान्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम सं0 18, 2000 की धारा 20 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (क) के अन्तर्गत उपरोक्त निलम्बन आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अब श्री चमेल सिंह, प्रधान पद के समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगा ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित